प्रकरण संख्या 85/16 2017/00016 रजु दिनांक 26.12.2016

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

उनवान

1. शिवनारायण
2. अमरलाल
3. शिवसिंह

पुत्रान रामचरण जाति जाटव निवासी ससेड़ी तहसील व जिला करौली — अपीलार्थीगण

बनाम

तहसीलदार करौली, तहसील व जिला करौली राजस्थान — प्रत्यर्थी

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 23.05.1992 न्यायालय तहसीलदार करौली बाबत् नामांतरकरण संख्या 403 ग्राम ससेड़ी तहसील करौली जिसकी रूह से नामांतरकरण खारिज किया गया है, के विरुद्ध तहत धारा 75 एल.आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक–29.01.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निर्णय दिनांक 23.05.1992 अधीनस्थ न्यायालय बाबत् नामान्तकरण संख्या 403 ग्राम ससेडी तहसील करौली खिलाफे कानून, रूहेदाद मिसल, पूर्णतया आरवेट्रेरी, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट होने और अपीलार्थीगण को बिना नोटिस दिये, बिना सुने, एक पक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों की अवहेलना कर विधि विरूद्ध रूप से पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है और पत्रावली पुनः सुनबाई को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। जैर अपील नामान्तरकरण से सम्बन्धित आराजीयात खसरा नम्बर 517, 518, 552, 575 लगायत 583 कुल किता 11 कुल रकबा 11 बीघा 9 विस्वा ग्राम ससेडी अपीलाण्ट के पिता रामचरण व उसके भाई खिलाडीराम के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी है। उक्त आराजीयात मंदिर माफी की खुद काश्त भूमि कभी नहीं रही है बल्कि ग्राम ससेडी स्टेट करौली के समय मंदिर की जागीर में सम्पूर्ण ग्राम ससेडी की भूमि रही है। जागीर सन् 1952 में जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के तहत सन् 1952 में जब्त हो चुकी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू होने के दिवस भूमि अपीलाण्टस के पितामह भुल्लन के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। उक्त भूमि कभी भी मंदिर की खुद काश्त भूमि नही रही है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आराजीयात को मंदिर भूमि होना विधि विरूद्ध रूप से मानते हुये जैर अपील निर्णय पारित कर नामान्तरकरण संख्या 403 गलत तौर पर खारिज कर भारी कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 23.05.1992 की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 18.10.2016 को पटवारी हल्का से खाते की जानकारी करने पर खाता अपीलाण्ट के पिता के नाम दर्ज होने एवं नामान्तरकरण विरासत संख्या 403 दिनांक 23.05.1992 को खारिज हो जाने की कहने पर अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 21.10.2016 को नकल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर हुई है। दिनांक 23.05.1992 से दिनांक 21.10.2016 तक का समय जानकारी अपीलाण्ट्स के अभाव में कण्डौन किये जाने योग्य है। जानकारी दिवस दिनांक 21.10.2016 से एवं नकल में लगे समय को मुजरा करते हुये अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियाद प्रस्तुत है। धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत है। अपीलाण्ट की माँ सरूपी का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलाण्ट्स सरूपी के पुत्रगण है। वैध वारिसान हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने एवं जैर अपील नामांतरकरण संख्या 403 दिनांक 23.05.1992 ग्राम ससेड़ी तहसील करौली को निरस्त फरमाये जाने तथा पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने हेतु निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
करौली

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट्स की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय दिनांक 23.05.1992 अधीनस्थ न्यायालय बाबत् नामान्तकरण संख्या 403 ग्राम ससेडी तहसील करौली से सम्बन्धित आराजीयात खसरा नम्बर 517, 518, 552, 575 लगायत 583 कुल किता 11 कुल रकबा 11 बीघा 9 विस्वा ग्राम ससेडी अपीलाण्ट के पिता रामचरण व उसके भाई खिलाडीराम के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी है। उक्त आराजीयात मंदिर माफी की खुद काश्त भूमि कभी नहीं रही है बल्कि ग्राम ससेडी स्टेट करौली के समय मंदिर की जागीर में सम्पूर्ण ग्राम ससेडी की भूमि रही है। जागीर सन् 1952 में जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के तहत सन् 1952 में जब्त हो चुकी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू होने के दिवस भूमि अपीलाण्टस के पितामह भुल्लन के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। उक्त भूमि कभी भी मंदिर की खुद काश्त भूमि नही रही है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आराजीयात को मंदिर भूमि होना विधि विरूद्ध रूप से मानते हुये जैर अपील निर्णय पारित कर नामान्तरकरण संख्या 403 गलत तौर पर खारिज कर भारी कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट की माँ सरूपी का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलाण्ट्स सरूपी के पुत्रगण है। वैध वारिसान हैं। ऐसे ही एक अन्य प्रकरण खाता संख्या 90 (नया) ग्राम ससेड़ी, तहसील करौली में विरासत का नामांतरण भी खोला जा चुका है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि निर्णय नियमानुसार एवं विधिवत् रूप से पारित किया गया है। भूमि देवताओं की जोत से संबंधित रही है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। ग्राम ससेड़ी की उक्त आराजी भूमि देवताओं से संबंधित जागीर भूमि रहना प्रतीत होता है। जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के तहत जागीर पुनग्रहित हो चुकी हैं। हम अपीलाण्ट के कथनों से सहमत हैं। अतः अपील को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। नामांतरकरण संख्या 403 निर्णय दिनांक 23.05.1992 ग्राम ससेडी तहसील करौली अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार करौली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में पुनः गुणावगुण के आधार पर जांच करके निर्णय पारित करे। तहसीलदार करौली को निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली